

संख्या- 100 /2026/आर0एफ0-597/नौ-9-2026/18-ई-1869482

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पंचायत तिरवांगंज,  
जनपद-कन्नौज।

नगर विकास अनुभाग-9

संखनऊ : दिनांक 19 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से व्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।  
महोदय,

उल्लेखनीय है शासनादेश संख्या-93/2025/आर0एफ0-385/नौ-9-2025/003-ई-1905030, दिनांक-19.03.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित एन0ई0डी0, स्ट्रीट लाईट, इलेक्ट्रिक पोल निर्माण कार्य हेतु नगर पंचायत तिरवांगंज, जनपद-कन्नौज को कुल लागत ₹0 106.98 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ऋण के रूप में आवंटित धनराशि ₹0 100.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 50.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-कन्नौज द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत तिरवांगंज, जनपद-कन्नौज को द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र० सं०	निकाय, जनपद एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्राप्त/संशोधित धनराशि/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	ऋण के रूप में आवंटित धनराशि	निविदा (टेण्डर) की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/अंतिम किश्त की निर्गत की जा रही धनराशि (आवंटित धनराशि-प्रथम किश्त की धनराशि) (4-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत तिरवांगंज, जनपद कन्नौज में एन0ई0डी0, स्ट्रीट लाईट, इलेक्ट्रिक पोल निर्माण कार्य।	106.98	100.00	106.80	50.00	50.00

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2027 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/ पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (4) निकाय पश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (5) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-93/2025/आर0एफ0-385/नौ-9-2025/003-ई-1905030, दिनांक-19.03.2025 में उल्लिखित शेष शर्त यथावत रहेंगी।
- (6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किशत की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से कराकर सतुष्ट हो तब तदोपरान्त द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय की धनराशि ₹0 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2025/वी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में पशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by  
RAJESHWARI PRASAD  
Date: 19-05-2026  
10:43:31

भवदीय,  
(राजेश्वरी प्रसाद)  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 100 /2026/आर0एफ0-597/नौ-9-2026/बी0-ई-1869482, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-कन्नौज।
6. कोषाधिकारी, जनपद-कन्नौज।
7. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0 नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2026-2027**  
**आवंटन दिनांक-19/05/2026**


**प्रेषण संख्या:-** 100  
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-100-2026-RF-597-9-9-2026-018-E-1869482  
**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)  
**लेखाशीर्षक:-** 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	कन्नौज-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	5000000	5000000
		प्रगामी	5000000	5000000
	योग	वर्तमान	5000000	5000000
		प्रगामी	5000000	5000000

**महायोग- (वर्तमान आवंटन):-** रूपया पचास लाख

**महायोग- (प्रगामी आवंटन):-** रूपया पचास लाख

  
(देवेश मिश्र)  
संयुक्त सचिव